मरूमेघ
किसान ई पत्रिका
www.marumegh.com पर ऑनलाईन उपलब्ध

ISSN : 2456-2904
© marumegh 2022

आलेख प्राप्ति : 11-03-2022
स्वीकरण : 02-04-2022

पौधा, किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

डॉ. सी.एल. खटीक, डॉ. कैलाश चन्द्र, डॉ. एस.आर. ढाका व डॉ. झूमर लाल

कृषि अनुसंधान केन्द्र फतेहपुर–शेखावाटी
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
*ई–मेल – clkhatik.pbg@sknau.ac.in

पौधों की नई किस्मों के विकास तथा पादप आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण, उनमें सुधार तथा उन्हें उपलब्ध कराने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि किसानों द्वारा किए गए योगदान को मान्यता प्रदान की जाए तथा उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। इसलिए वर्ष 2001 में पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया। इस अधिनियम को लागू करने के बाद भारत पादप किस्मों की सुरक्षा के मामले में कृषि की दृष्टि से विकसित देशों के समूह में शामिल हो गया है। इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए नवम्बर 2005 में पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी और एफआरए) का सृजन हुआ। पीपीवी और एफआर अधिनियम द्वारा कानूनी रूप से 'कृषक किस्म' को पंजीकृत कराया जा सकता है। यह अधिनियम किसानों द्वारा जंगली/स्थानीय किस्मों को अपने आर्थिक परीक्षणों से चयनित और विकसित करने के संदर्भ में मूल्य संवर्धन प्रदान करता है। भारतीय पीपीवी और एफआर अधिनियम, इस प्रकार, किसानों को जैव–विविधता का सृजक, संरक्षक और सुधारक व इसके साथ–साथ पादप प्रजनक भी मानता है। पीपीवी और एफआर अधिनियम 2001 पादप प्रजनको और किसानों को समान स्तर प्रदान करता है।

अधिनियम, 2001 के उद्देश्य –

1. पौधो किस्मों की सुरक्षा व किसानों और पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रभावी प्रणाली उपलब्ध कराना।
2. नई पौधों किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों को उपलब्ध कराने, उनके संरक्षण व सुधार में किसानों के योगदानों को सम्मान व मान्यता प्रदान करना।
3. अनुसंधान एवं विकास तथा नई किस्मों के विकास के लिए निवेश को बढाने हेतु पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा।
4. उच्च गुणवत्तापूर्ण बीजों/रोपण सामग्री के उत्पादन व उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए बीज उद्योग की वृद्धि को सुविधाजनक बनाना।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 के महत्वपूर्ण प्रावधान –

1 कृषकों के अधिकार
2 प्रजनकों के अधिकार
3 समुदाय के अधिकार
4 अनुसंधानकर्ताओं के अधिकार
5 जीन निधि तथा सम्मान पुरस्कार
6 लाभ में भागीदारी
7 अनिवार्य लाइसेंस

पंजीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 150 फसल प्रजातियाँ –

समूह	संख्या	फसल प्रजातियां
अनाज वाली फसलें	21	चपाती गेहूँ, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, कुटु (3 प्रजातियां), डाइकोकम गेहूँ, अन्य गेहूँ प्रजातियां, जौ, रागी, कँगनी, प्रोसो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कोदो मिलेट, छोटा अनाज, रामदाना
दलहनी फसलें	8	चना, मूँग, उड़द, मटर, राजमा, मसूर, अरहर, बाकला
रेशा फसलें	8	द्विगुणित कपास (2 प्रजातियाँ), चर्तुगुणित कपास (2 प्रजातियां), पटसन (2 प्रजातियां), शकरकंद, कसावा
तिलहन फसलें	12	भारतीय सरसों, करन राई, तोरिया, गोभी सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, कुसुम, अरण्य, तिल और अलसी, रतन जोत
शर्करा फसलें	1	गन्ना
सब्जियों वाली फसलें	21	टमाटर, बैंगन, भिण्डी, फूलगोभी, बंदगोभी, आलू, प्याज, लहसून, अदरक, घीया, करेला, कद्दू , खीरा, लाल शिमला मिर्च, मिर्च, शिमला मिर्च, सब्जी चौलाई, तोरई, पालक, सूरन, तारो (2 प्रजातियां), इमली
पुष्प एवं लताएँ	19	गुलाब, गुलदाउदी, ऑर्किड (6 प्रजातियां), बोगनीवीलिया, कैना, जैसमिन, रजनीगंधा, चाइना एस्टर, कार्नेशन, मोगरा, गेंदा, चमेली
मसाले वाली फसलें	6	काली मिर्च, छोटी इलायची, धनिया, मैथी, हल्दी, जायफल
फल वाली फसलें	28	आम, बादाम, अखरोट, चैरी, खुबानी, सेब, नाशपती, अनार, अंगुर, बेर, नींबू, मौसमी, संतरा, केला, खरबूजा, तरबूज, पपीता, आड़ू, जापानी बेर, स्ट्राबेरी, बेल, जामून, सीताफल, अमरूद, लीची, शहतूत, चिरौंजी, खजूर
औषधीय तथा सुंगधीय पौधे	11	ईसबगोल, पुदीना, दमस्क गुलाब, सदाबहार, ब्रह्मी, नोनी, कालमेघ, करंज, नीम, आंवला, पान
रोपण फसलें	13	नारियल, सफेदा (2 प्रजातियां) , कैसूरीना (2 प्रजातियां) , चाय (3 प्रजातियां) , देवदार, चीड़, पोपूलर, एरिकनट, काजू
अन्य फसलें	2	विल्लों, जई

किस्में जो सुरक्षित की जा सकती हैं–

1 नई किस्में
2 विद्यमान किस्म
3 बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत अधिसूचित
4 कृषक किस्म
5 सामान्य ज्ञान की किस्म
6 अनिवार्य रूप से व्यूत्पन्न किस्म

पंजीकरण का आधार –

नवीनता

- आवेदन की तिथि से 12 माह से कम अवधि के लिए किस्म की बिक्री नही की गई भारत में या भारत के बाहर प्रथम पंजीकरण की तिथि से वार्षिक फसल किस्मों के मामले में 4 वर्ष तथा वृक्षों और लताओं के मामले में 6 वर्ष

विशिष्टता

- भारत में तथा देश से बाहर सामान्य ज्ञान की किस्मों से कम से कम एक अन्य अनिवार्य गुण में स्पष्ट रूप से विशिष्ट होनी चाहिए।

- अनिवार्य गुण वंशानुगत गुण है जो एक या इससे अधिक जीनों द्वारा निर्धारित होता है अथवा अन्य वंशानुगत गुण जो पौधा किस्म के विशिष्ट गुणों, निष्पादन अथवा मूल्य में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हों।

एकरूपता

- वह विविधता है जो प्रवर्धन के विशिष्ट गुणों में से अपेक्षित होती है तथा इसके अनिवार्य गुणों की समरूपता पर्याप्त रूप से अभिव्यक्त करती है।

स्थायित्व

- वह स्थिति है जब सभी अनिवार्य गुण बार–बार प्रवर्धन अथवा प्रवर्धन के विशिष्ट चक्र के पश्चात् भी अपरिवर्तित रहती है।

सुरक्षा की अवधि –

	(वर्षो में)			
		कुल	आरंभिक	विस्तारित
सुरक्षा की अवधि	वृक्ष एवं लताएं	पंजीकरण की तिथि से 18	9	9
	अन्य फसलें	पंजीकरण की तिथि से 15	6	9
	विद्यमान अधिसूचित किस्में	बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा की गई अधिसूचना की तिथि से 15 वर्ष		

प्रजनक के अधिकार –

- प्रजनक को संरक्षित किस्म को उत्पन्न करने, बेचने, उसका विवणन करने, वितरण करने, आयात या निर्यात करने का एकमात्र अधिकार होगा।
- अधिकारों के उल्लंघन के मामले में प्रजनक एजेंट/लाइसेंसी नियुक्त कर सकता है और कानूनी उपाय अपना सकता है।

अनुसंधानकर्ता के अधिकार –

- इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसी किस्म का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोग या अनुसंधान करने के लिए कर सकता है।
- अन्य किस्मों के सृजन के उद्देश्य से आंरभिक स्त्रोत सामग्री के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा ऐंसी किस्म का उपयोग किया जा सकता है।
- जिन मामलों में किसी अन्य नई किस्म के विकास के लिए व्यावसायिक उत्पादन हेतू पूर्वज वंशक्रम के रूप में ऐसी किस्म का बार–बार उपयोग करने की आवश्यकता हो, वहां प्रजनक का प्राधिकार प्राप्त करना होगा।

पंजीकरण से पौधा किस्म और नाम को एकमात्र अधिकार प्राप्त होता है :

पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 28 के अंतर्गत किस्म के पंजीकरण पर किसान को उस किस्म को उत्पन्न करने, बेचने, उसका विपणन करने, उसे वितरित करने, उसका आयात या निर्यात करने का एकमात्र अधिकार होता है। पंजीकरण की यह तिथि पंजीकरण प्रमाण–पत्र किए जाने की तिथि से 15 वर्ष की है जबकि वृक्षों और लताओं के मामले में यह 18 वर्ष है। यहां यह बताया जा सकता है कि अधिनियम में पौधा किस्म तथा नाम दोंनो की सुरक्षा प्रदान की गई है। तदनानुसार न केवल पादप किस्म सुरक्षित होती है लेकिन कृषक द्वारा पादप किस्म को दिया गया नाम भी सुरक्षित हो जाता है।

कृषकों के अधिकार – पौधा किस्म और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001

अधिनियम का उद्देश्य पौधा किस्मों, किसानों के अधिकारों और पादप प्रजनकों के अधिकारों और पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना है।

1 बीज से बीज तक पहुंच पर कृषकों का अधिकार

किसान : एक उत्पादक, पौधों का संरक्षक है और पादप प्रजनक।

2 प्रजनक के रूप में किसान

पौधा किस्मों का संरक्षण नई प्रजातियों और तकनीकी को किसानों को उपलब्ध करने में बढावा देना।

3 लाभ में भागीदारी के लिए कृषकों का अधिकार

यदि प्रजनक कृषक किस्म को नई किस्म के विकास में उपयोग करता है तो ऐसी दशा में कृषक/समुदाय लाभ सहभागिता, हर्जाना हेतु दावा कर सकता है।

यदि किसी पंजीकृत किस्म के प्रजनक ने उस किस्म के विकास में किसी ग्राम या स्थानीय समुदाय के उल्लेखनीय व बहुमूल्य योगदान की उपेक्षा की हो तो संबधित ग्राम या स्थानीय समुदाय लाभ में भागीदारी का दावा कर सकता है।

छावेदार की आनुवांशिक सामग्री के उपयोग की सीमा और प्रकृति के अनुसार उस किस्म के वाणिज्यिक उपयोग से जो लाभ प्राप्त होता है तथा उस विशेष किस्म की बाजार में जो मांग है उसके अनुरूप होने वाले लाभ में से प्रजनक एक निर्धारित राशि राष्ट्रीय जीन निधि में जमा कराएगा।

छावेदार को लाभ का हिस्सा, जो भी उचित होगा, दिया जाएगा।

4 अनिवार्य रूप से व्यूत्पन्न किस्मों के वाणिज्यीकरण के लिए पूर्व प्राधिकार।

यदि पंजीकृत किस्म का बीज उपलब्ध नही है अथवा उचित कीमत पर उपलब्ध नही है ऐसी दशा में अनिवार्य लाइसेंस स्वीकृत किया जा सकता है।

5. बीज का उचित मूल्य।

5 समान और पुरस्कार का अधिकार।

6 राष्ट्रीय जीन फंड से कृषक/कृषक समुदाय को कृषि जैव विविधता के संरक्षण हेतु पहचान अथवा पुरस्कार दिया जा सकता है।

7 क्षतिपूर्ति के लिए कृषकों का अधिकार।

8 विधान उल्लंघन के विरूद्ध सुरक्षा का कृषक अधिकार।

9 समुदाय के अधिकार।

जीन फंड में ग्रामीण अथवा स्थानीय समुदाय द्वारा विकसित और जमा की गई किस्म के अंशदान की क्षतिपूर्ति और परम्परागत समुदाय द्वारा पादप आनुवंशिक संसाधन के संरक्षण और परिरक्षण हेतु मान्यता प्रदान करना।

10 शुल्क से छुट।

****